न्यायालय परिवार न्यायाधीश/अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय पीलीभीत।

उपस्थित –: अभय प्रताप सिंह –I (उच्चतर न्यायिक सेवा)

भरण पोषण वाद सं. 314/2018

1. हसीन बानो पत्नी साजिद अली पुत्र महमूद शाह

2. सायना (अव्यस्क) पुत्र साजिद जरिये नैसार्गिक संरक्षिका सगी माता हसीन बानो

3. असद (अव्यस्क) पुत्र साजिद जरिये नैसार्गिक संरक्षिका सगी माता हसीन बानो

निवासीगण ग्राम पकड़िया नौगवा, थाना सुनगढ़ी जिला पीलीभीत

––––– प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम्

साजिद अली पुत्र मासूम शाह निवासी ग्राम लभेड़ा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली

––––– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं.

थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत।

<u>एकपक्षीय निर्णय</u>

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. प्रार्थीगण हसीन बानो, सायना व असद की ओर से विपक्षी साजिद अली के विरूद्व स्वयं के लिये वास्ते दिलाये जाने भरण पोषण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिनी द्वारा अपना प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. कागज सं. 3क मय शपथपत्र कागज सं. 4ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी की शादी विपक्षी के साथ आज से लगभग चार वर्ष पूर्व मुस्लिम शरीयत के अनुसार हुई थी। शादी के बाद प्रार्थिनी को विपक्षी अपने साथ लेकर गया था। प्रार्थिनी ने विपक्षी के साथ रहने के दौरान प्रार्थिनी ने दो बच्चो को जन्म दिया जो इस समय जीवित है। दिनांक 10.06.17 को विपक्षी व उसके परिवार वालो ने दहेज में एक मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये नकद की मांग को लेकर प्रार्थिनी को मारपीट कर मात्र पहने कपडो में निकाल दिया तथा धमकी दी कि यदि तूने दहेज की मांग पूरी नही कराई तो हम दूसरी शादी कर लेगे। प्रार्थिनी को जानकारी हुई कि विपक्षी ने दूसरी शादी कर ली है तो प्रार्थिनी अपनी ससुराल अपनी मॉ को साथ लेकर गयी तो उपरोक्त ने प्रार्थिनी को घर में घुसने नही दिया और धमकी दी कि यदि कोई कार्यवाही की तो जान से मार दूंगा। प्रार्थिनी मजबूरी में अपने मायके में रह रही है। प्रार्थिनी का सारा माल जेवर कपड़े ससुराल में है। विपक्षी का निजी मकान है तथा उसका अपना व्यवसाय है जिससे उसे लगभग मु0 20,000/– रूपये प्रतिमाह की आमदनी होती है। प्रार्थिनी को अपने भरण पोषण हेतु मु0 5,000/– रूपये, पुत्री सायना के भरण

पोषण हेतु 3,000/– रूपये व पुत्र असद के भरण पोषण हेतु मु0 3,000/– रूपये प्रतिमाह विपक्षी से बतौर भरण पोषण भत्ता दिलाया जाये।

विपक्षी के उपस्थित न होने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.03.18 को विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में एकपक्षीय मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को बतौर पी.डब्लू.1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची ख9 से कागज सं. ख9/1 निकाहानामा हिन्दी अनुवाद, कागज सं. ख9/2 निकाहानामा दाखिल किया गया है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र दिनांकित 20.11.17 में किये गये कथनो का बतौर पी.डब्लू.1 समर्थन करते हुये कथन किया है कि प्रार्थिनी की शादी लगभग 4 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज से विपक्षी के साथ हुई थी। विपक्षी के साथ रहने के दौरान प्रार्थिनी ने दो बच्चो को जन्म दिया जो इस समय जीवित है और प्रार्थिनी के पास है। दिनांक 10.06.17 को विपक्षी व उसके घर वालो ने दहेज में एक मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये नकद की मांग को लेकर प्रार्थिनी के साथ मारपीट कर पहने हुये कपड़ो में घर से निकाल दिया और धमकी दी कि तूने यदि दहेज की मांग पूरी नही की तो विपक्षी की दूसरी शादी कर देगे। प्रार्थिनी ने जब विपक्षी की दूसरी शादी की जानकारी हुई तो प्रार्थिनी अपनी मॉ के साथ ससुराल गयी। परन्तु ससुराल वालो ने प्रार्थिनी को घर में घुसने नही दिया और धमकी दी कि यदि कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगे। प्रार्थिनी तब से अपने मायके में रह रही है। प्रार्थिनी का सारा माल, जेवर, कपड़ा ससुराल में है। विपक्षी का निजी मकान है तथा उसका अपना व्यवसाय है, जिससे 20,000/– रूपये प्रतिमाह विपक्षी की आमदनी है। प्रार्थिनी का साक्ष्य इस स्तर पर अखंडनीय है। अतः पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य से प्रार्थिनी यह सिद्ध करने में सफल रही है कि वह स्वयं विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है तथा विपक्षी एवं उसके परिवार वालो की दहेज की मांग, क्रूरता एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण प्रार्थिनी विपक्षी से अलग रह रही है। प्रार्थिनी के पास विपक्षी से अलग रहने का युक्तियुक्त कारण मौजूद है। विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी को भरण पोषण में उपेक्षा बरती गयी है।

आय के संबंध में प्रार्थिनी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी की कोई आय का साधन नही है इसलिये प्रार्थिनी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। विपक्षी का निजी मकान है तथा उसका अपना व्यवसाय है, जिससे विपक्षी को लगभग 20,000/– रूपये प्रतिमाह की आमदनी होती है। यद्यपि प्रार्थिनी की ओर से विपक्षी की आय के संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली

पर दाखिल नही किया गया है। परन्तु विपक्षी हष्टपुष्ट व्यक्ति है और उसकी आय के पर्याप्त साधन है, जिनसे वह प्रार्थिनी का भरण पोषण करने में सक्षम है।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण एकपक्षीय साक्ष्य से प्रार्थिनी यह सिद्ध करने में सफल रही है कि प्रार्थिनी विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है, विपक्षी एवं उसके परिवार वालो की दहेज की मांग, क्रूरता तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण प्रार्थिनी विपक्षी से पृथक रह रही है, प्रार्थिनी के पास आय के पर्याप्त साधन नही है। प्रार्थिनी के अनुसार विपक्षी एक साधन सम्पन्न व्यक्ति है। विपक्षी का निजी मकान है तथा उसका अपना व्यवसाय है जिससे उसकी आमदनी करीब 20,000/– रूपये प्रतिमाह से कम नही है। यद्यपि प्रार्थिनी की ओर से विपक्षी की आय के संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नही किया गया है, लेकिन विपक्षी एक हष्टपुष्ट व्यक्ति है और उसकी आय के पर्याप्त साधन है। फिर भी विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी का भरण पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा बरती गयी है। विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी का परित्याग बिना किसी युक्ति युक्त कारण के किया गया है तथा आज तक प्रार्थिनी के भरण पोषण हेतु कोई धनराशि अदा नही की गयी है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी हसीन बानो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी साजिद अली को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश के दिनांक से प्रार्थिनी हसीन बानो के जीवन यापन भरण पोषण हेतु अंकन 1,500 /– रूपये (पन्द्रह सौ रूपये), प्रार्थिनी सं. 2 अव्यस्क सायना के जीवन यापन भरण पोषण हेतु अंकन 5,00/– रूपये (पांच सौ रूपये) उसके व्यस्क होने तक तथा प्रार्थी सं. 3 अव्यस्क असद के जीवन यापन भरण पोषण हेतु अंकन 5,00/– रूपये (पांच सौ रूपये) उसके व्यस्क होने तक, प्रतिमाह प्रत्येक अग्रिम माह की 10 तारीख तक अदा करे।

प्रार्थीगण द्वारा यदि किसी अन्य प्रकरण में विपक्षी से कोई भरणपोषण की धनराशि प्राप्त की जा रही है तो वह उक्त धनराशि में समायोजित की जायेगी।

दिनांक 17.11.18

(अभय प्रताप सिंह–I)
परिवार न्यायाधीश/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय
पीलीभीत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 17.11.18

(अभय प्रताप सिंह–I)
परिवार न्यायाधीश/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय
पीलीभीत।